



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67142

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 1471 सन् 2026

प्रदीप

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- कपिल कुमार, संध्या सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -65

(क्र.सं. 64, कुल 315 में से)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनः पुकारी गई। राज्य के विद्वान विधि अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार, सूचनाकर्ता को दिनांक 9.1.2026 को सूचना तामील की जा चुकी है।
2. सुश्री संध्या सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री आर.पी. सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 147 सन् 2025, धारा 65(1), 115(2), 137(2), 333, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना आहार, जनपद बुलंदशहर के अधीन विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत माँग रहा है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक पर यह आरोप है कि उसने पीड़िता का बलपूर्वक अपहरण कर उसे एक कृषि क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया और तत्पश्चात् ग्राम में मामले की चर्चा होने पर, आवेदक ने दिनांक 5.11.2025 को रात्रि लगभग 10.30 बजे सूचनाकर्ता की पुत्री को बेहोशी की अवस्था में गाँव के बाहर छोड़ दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग दो दिन का विलंब है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह सत्य है कि सूचनाकर्ता नोएडा में निवास करता था और घटना जनपद बुलंदशहर की है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता की चिकित्सीय जाँच दिनांक 8.11.2025 को शासकीय चिकित्सालय, बुलंदशहर में की गई और खोपड़ी पर .5x.5 से.मी. का एक साधारण प्रकृति का घाव देखा गया। एक गुलाबी कैन्युला भी देखी गई। पीड़िता ने चिकित्सक को जो कथा सुनाई उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा कि आवेदक ने उसका मुँह बंद किया, डंडे से मारा और उसे खेत में ले गया। उक्त चिकित्सीय जाँच से पूर्व, पीड़िता तथा उसकी चचेरी देवरानी मंजू, जिन्हें बाह्य रोगी के रूप में सी.एच.सी. अनूपशहर, बुलंदशहर में उपचार दिया गया था, की एक अन्य चिकित्सीय जाँच की गई, जो क्रमशः प्र.-4418 एवं प्र.-4419 के रूप में दर्ज की गई और जो पृष्ठ संख्या 72 पर अनुलग्नक-9 के रूप में दाखिल की गई है। आवेदक की चचेरी देवरानी मंजू की चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पीड़िता के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर कोई चोट नहीं है, इसलिए आवेदक जमानत का अधिकारी है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना की कोई चिकित्सीय पुष्टि नहीं है। आवेदक 12.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का खंडन नहीं कर सके।
9. मुकदमे के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए विलंब, उल्लिखित चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट में उक्त विसंगति तथा पीड़िता के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर कोई चोट न होने को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक प्रदीप को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा/भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

12. स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में बाधित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

शालिनी